

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
94/2025

दायर दिनांक  
19.05.2025

निर्णय दिनांक  
05.06.2025

## अनवान

1. गोकल पिता प्यारा जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गोवर्धन लाल पिता प्यारा जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मोहनलाल पिता प्यारा जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रामेश्वरलाल पिता प्यारा जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

## प्रार्थीगण

## बनाम

1. चम्पाबाई पत्नी प्यारा जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. अण्छी पत्नी कस्तुरा जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. उंकारलाल पिता किशना जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. उदा पिता किशना जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. प्रेमी पुत्री कस्तुरा पत्नी भैरूलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन हाल मुकाम चित्तौड़िया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
6. बगदीराम पिता कस्तुरा जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मांगीलाल पिता कस्तुरा जाति चमार आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. बद्रीलाल पिता भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. गोपाल पिता बाबुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. बद्रीलाल पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
11. बालु पिता जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
12. भैरूलाल मुतबन्ना रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
13. शोभालाल पिता माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बैरवा  
एकतरफा

अप्रार्थीगण  
प्रार्थीगण  
अप्रार्थीगण



सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वावरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 153 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 314, 315, 317, 328, 329, 330, 336, 831/342, 837/96, 840/97, 845/318, 855/331, 857/332, 859/340, 862/95 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 1.79 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 04 की अभिलिखित आराजी संख्या 338, 832/342, 835/94, 838/96, 841/97, 863/95, 865/98 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 0.19 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के सह खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं 6 से 13 के विरुद्ध वावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब इकबालिया प्रस्तुत। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के सहखातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा वावरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 153 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 314, 315, 317, 328, 329, 330, 336, 831/342, 837/96, 840/97, 845/318, 855/331, 857/332, 859/340, 862/95 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 1.79 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 04 की अभिलिखित आराजी संख्या 338, 832/342, 835/94, 838/96, 841/97, 863/95, 865/98 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 0.19 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 धमाणा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालकर)  
उपखण्ड अधिकारी  
(उपरखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौडगढ